E.O. (G.O.) No. 19/2024 dt. 05.02.2024



C. No. II/3/01/2022-Estt. (CCA)

Date: 05-02-2024

<u>स्थापना आदेश (रा.प) सं. 19/2024</u> ESTABLISHMENT ORDER (G.O.) NO. 19/2024

प्रधान आयुक्त (सं.नि.प्रा.) के अनुमोदन से हैदराबाद/ विशाखपट्टणम क्षेत्र के साझा संवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक हवाई सीमाशुल्क अधीक्षक के रूप में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (आर.जी.आई.ए), हैदराबाद में 75% एयरपूल कोटा के तहत तैनात किया जाता है।

With the approval of the Principal Commissioner (CCA), the following Superintendents of Customs & Central Tax working in the common cadre of Hyderabad Zone and Visakhapatnam Zone are hereby posted as Air Customs Superintendent (ACS) at Rajiv Gandhi International Airport (RGIA), Hyderabad under 75% Airpool Quota with immediate effect and until further orders:

Table

<u>Iable - A</u>			
S. No.	Name of the Officer (S/Shri/Smt)	Date of Birth	Present place of posting
1	Dacha Ravi	17-10-1968	Secunderabad GST
2	Giridhar Rao Pawar	08-12-1966	Hyderabad GST
3	D. Chinna Babji	15-08-1968	CPC, Vijayawada

हवाई सीमा शुल्क अधीक्षक की तैनाती हेतु नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं: 2.

The terms and conditions of posting as Air Customs Superintendent are as under:

i) सामान्यात: राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनाती की अवधि दो वर्ष है। यद्यपि, हवाई अड्डे पर तैनात किसी अधिकारी को, प्रशासनिक आधार पर, दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पूर्व कभी भी प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। The normal tenure of posting at RGI Airport, Hyderabad is two years. However, an officer posted to the Airport can be repatriated at any time before completion of two years on administrative grounds.

ii) राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद पर तैनात अधिकारियों को अपने अवास व स्थानीय यातायात की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

The officers posted at Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad will have to make their own arrangement for residential accommodation and local transport.

iii) हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारी, सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त, हैदराबाद के कार्यालय में, समय-समय पर उन्हें ग्राह्य वेतन व भत्तों के पात्र होंगे।

The officers posted at the Airport will be eligible to draw pay and allowances, in the office of the Pr. Commissioner of Customs, Hyderabad at the rates admissible to them from time to time.

iv) हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारियों को "प्रतिनियुक्ति" के रूप में माना जाएगा परंतु उन्हें कोई भी प्रतिनियुक्ति भत्ता ग्राह्य नहीं होगा।

The officers posted at the Airport shall be considered as "on Deputation" to the Airport but no Deputation Allowance will be admissible to them.

v) अधिकारी, नियमों के अंतर्गत ग्राह्य वर्दी भत्ते के हकदार होंगे। The officers will be entitled to draw Uniform Allowance as admissible under the Rules

0

vi) आयुक्तालयों से अनुरोध है कि उपरोक्त अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए तथा अनुपालन रिपोर्ट 🍽ांक 12.02.2024 तक इस कार्यालय को प्रेषित की जाए ।

Commissionerates are requested to relieve the above officers immediately and the compliance report may be forwarded to this office by 12.02.2024.

 सीमा शुल्क आयुक्तालय, हैदराबाद, से अनुरोध है कि तालिका- A में दिए गए अधिकारियों की कार्यग्रहण रिपोर्ट इस कार्यालय को अग्रेषित करें।

Customs Commissionerate, Hyderabad is requested to forward joining reports of officers mentioned at Table – A above to this office.

किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
 In case of any ambiguity English version will prevail.

(बी. रघु किरण) (B. RAGHU KIRAN) अपर आयुक्त (सं.नि.प्रा.) ADDITIONAL COMMISSIONER (CCA)

प्रति To

संबंधित व्यक्ति को (संबंधित अधिकारी के माध्यम से) The Individuals (Through the officer concerned)

प्रतिलिपि अग्रेषित Copy submitted to:

- मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क एवं केंद्रीय कर, हैदराबादक्षेत्र/ विशाखपट्टणमक्षेत्र।
 The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Hyderabad Zone/ Visakhapatnam Zone.
- सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, हैदराबादक्षेत्र/विशाखपट्टणम क्षेत्र।
 All the Principal Commissioners/ Commissioners, Customs and Central Tax, Hyderabad Zone and Visakhapatnam Zone.

प्रतिलिपि Copy to:

- मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन व लेखा अधिकारी,हैदराबाद क्षेत्र/ विशाखपट्टणमक्षेत्र। The CAO/PAO, Customs and Central Tax, Hyderabad Zone/ Visakhapatnam Zone.
- महासचिव, अखिल भारतीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संघ (AICEIA), हैदराबाद जोन/ विशाखपट्टनमक्षेत्र। The General Secretary, All India Central Excise Inspectors Association (AICEIA), Hyderabad Zone/ Visakhapatnam Zone.
- महासचिव,सीमाशुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, अनु॰जा॰/अनु॰ ज॰जा॰ कर्मचारी कल्याण संगठन,हैदराबाद क्षेत्र। The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, SC / ST Employees Welfare Association, Hyderabad Zone.
- 4. अधीक्षक, कंप्यूटर अनुभाग, हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। The Superintendent, Computer Section, Hyderabad GST Commissionerate for uploading on website.
- सूचना पट / स्टॉक फ़ाइल Notice Board / Stock File.

ि(बा. २५ (करण) (B. RAGHU KIRAN) अपर आयुक्त (सं.नि.प्रा.) ADDITIONAL COMMISSIONER (CCA)